**न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज**

**स्वत्व वाद सं0–216/2023**

सुकट राउत एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

विजय कुमार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| DATE | ORDER | REMARKS |
|---|---|---|
| **16.01.2026** | उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0–01 ता 05 की तरफ से एक आवेदन दिनांक 09.10.2025 को दाखिल किया गया, जो आज दिनांक 16.01.2026 को आदेश हेतु नियत है।<br>प्रतिवादी सं0–01 ता 05 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि वर्तमान वाद में प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 दिनांक 23.09.2024 को तथा प्रतिवादी सं0–03 ता 05 दिनांक 05.12.2024 को उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण के पास वर्तमान वाद से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं था जिसके लिए उन्होंने काफी खोजबिन किये। काफी खोजबिन के बाद वर्तमान वाद से संबंधित कागजातों की जानकारी हुई जिसके लिए प्रतिवादीगण नकल के लिए आवेदन किये। कागजातों का नकल विलम्ब से प्राप्त होने के कारण प्रतिवादीगण द्वारा ससमय ब्यान तहरीरी दाखिल नहीं किया जा सका। प्रतिवादीगण द्वारा ससमय ब्यान तहरीरी दाखिल नहीं करने के कारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं0–01 वो 02 को दिनांक 07.01.2025 वो प्रतिवादी सं0–03 ता 05 को दिनांक 22.05.2025 के आदेश से ब्यान तहरीरी दाखिल करने से वंचित करने का आदेश पारित कर दिया गया। प्रतिवादीगा वर्तमान वाद में संघर्ष करना चाहते है वो दिनांक 09.10.2025 को ब्यान तहरीरी दाखिल किए है जिसे न्यायालय द्वारा ग्रहण किया जाना न्यायहित में जरूरी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आदेश दिनांक 07.01.2025 वो आदेश दिनांक 22.05.2025 को रिकॉल करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल ब्यान तहरीरी को ग्रहण करने की कृपा की जाए।<br>वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 30.10.2025 को दाखिल किया गया एवं निवेदन | |

**<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>**

**<u>स्वत्व वाद सं0–216/2023</u>**

सुकट राउत एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

विजय कुमार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 16.01.2026** | किया गया कि प्रतिवादी सं0–01 ता 05 का आवेदन कानून एवं तथ्य के दृष्टिकोण से चलने योग्य नहीं है, बहरहाल खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष दिनांक 23.09.2024 को उपस्थित हुए वो ससमय ब्यान तहरीरी दाखिल नहीं किये तो न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.2025 को ब्यान तहरीरी देने से वंचित कर दिया गया। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष प्रतिवादी सं0–03 ता 05 दिनांक 05.12.2024 को उपस्थित हुए वो ससमय ब्यान तहरीरी दाखिल नहीं किये तो न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2025 को व्यान तहरीरी से वंचित कर दिया गया वो वाद को आदेश 08 नियम 10 व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत सुनवाई का आदेश दिया गया। प्रतिवादी प्रथम पक्ष वादीगण के किरायेदार थे और प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के पिता भाई पटेल का तथाकथित बयनामा दिनांक 03.12.1987 न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है लेकिन बयनामा को आधार बनाकर मुदालह द्वितीय पक्ष से मुदालह प्रथम पक्ष ने 01.12.2020 को फर्जी बयनामा निष्पादित करा लिए है जो आधारहीन है वो उसी बुनियाद पर मुदई को परेशान करने का प्रयास किया है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष नाजायज तरीका से वादग्रस्त भूमि हड़पने के लिए धोखा वो फरेब वो जाल साजी करके नाजायज बयनामा वो ब्यान तहरीरी पर फर्जी हस्ताक्षर कर मुदई को परेशान कर रहे है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादीगण का आवेदन खारिज करने की कृपा प्रदान करें।<br>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है प्रतिवादी सं0–01 ता 05 की ओर से एक आवेदन दिनांक 09.10.2025 को दाखिल किया गया तथा निवेदन किया गया है कि आदेश दिनांक 07.01.2025 वो आदेश दिनांक 22.05.2025 को रिकॉल करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल ब्यान तहरीरी को ग्रहण करने की | |

**<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>**

**<u>स्वत्व वाद सं0–216/2023</u>**

सुकट राउत एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

विजय कुमार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 16.01.2026** | कृपा की जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि किसी भी वाद का निष्पादन उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए, जिससे वाद का निष्पादन प्रभावी ढंग से किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। अतः न्यायहित में आदेश दिनांक 07.01.2025 वो आदेश दिनांक 22.05.2025 को रिकॉल करते हुए प्रतिवादी सं0–01 ता 05 का आवेदन दिनांक 09.10.2025 को मो0– 1500/– रू0 के हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है।<br>वाद दिनांक 27.02.2026 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है।<br>(लेखापित)<br>अवर न्यायाधीश–1<br>नरकटियागंज | |